Generation of Black Money in the country.

3343. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any study has been made about the quantum of black money generated in the country;

(b) what is the annual magnitude of generation of black money; and

(c) whether the generation of black money has come down after the implementation of the new economic policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) A study was made by the National Institute of Public Finance & policy wherein generation of black money was estimated between Rs. 31,584 crore to Rs. 36,786 crore in the year 1983-84. This is published in the report titled 'Aspects of Black Economy in India.'

(b) and (c) It is not possible to furnish the annual magnitude of generation of black money and state whether the generation of black money has come down after the implementation of the new Economic Policy, since no authentic study seems to have been made after 1983-84.

Provision of computerised facilities in Customs Deptt.

3344. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the steps taken to provide computerised facilities in Customs department to help the importers and exporters;

(b) whether such facility will be provided in all the metropolitan cities; and

(c) if so. when it will be established at Madras?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (c) A pilot project with on-line customs clearance capability is presently being implemented at the Delhi Custom House. This system anvisages use of electronic data interchange (EDI) for submission of clearance documents by the importers and exporters and prompt assessment and clearance by the customs, including payment of drawback. This Scheme will be extended to all the ports and air cargo complexes in the country and is likely to be implemented at Madras by June, 1996.

गुजरात सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच लेखाओं मे अन्तर

3345. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :**
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व गुजरात सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए लेखाओं में लगभग आठ सौ करोड़ रुपए का अंतर हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि सरकार द्वारा इस संबंध में कोई उपचारी कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में **राज्य** मंत्री (श्री **एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

किसानों को ऋण

3346. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में छोटे और मझौले किसानों को कृषि यन्त्रों, सिंचाई ट्रैक्टरों एवं अन्य कृषि उपकरणों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों ने जिलावार कुल कितने कर्ज दिए,

(ख) प्रत्येक जिले से कितने-कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं उन्हें मंजूर करने में कितना समय लगा तथा कितने आवेदन पत्र निरस्त किए गए; और

(ग) कर्जों की मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कयर उत्पादों पर उत्पाद कर

3347. **श्री जनार्दन यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कयर उद्योग" में कयर वस्तुओं के बनाने हेतु उसी कारखाने में जो "लेटेक्स मिक्स" तैयार किया जाता है, उस पर उत्पाद शुल्क लगता है ;

(ख) क्या देश में ऐसे किसी भी कयर कारखाने में इस "लेटेक्स मिक्स" पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उत्तरी उत्तर प्रदेश कलक्टरेट, मेरठ द्वारा दिए गए दिनांक 14.2.95 के विपरीत फैसले सं. 13/95 के कारण वहां के कयर कारखानों के बंद होने की समस्या से निपटने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले शुल्कय माल के विनिर्माण के लिए लेटेक्स मिक्स को इसके उत्पादन के कारखाने में ही प्रयोग किए जाने पर, दिनांक 16-3-95 की अधिसूचना सं. 18/95 के.उ.शु. द्वारा इस पर उद्ग्राह्य उत्पाद शुल्क से छूट दी गयी है ।

यदि कोई निर्धारिती किसी न्याय-निर्णयन प्राधिकारी के निर्णय से असतुष्ट हो तो वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के उपबंधों के अंतर्गत अपीलीय तन्त्र का सहारा ले सकता है । समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मेरठ द्वारा पारित दिनांक 14 फरवरी, 1995 के न्यायनिर्णयन आदेश सं० 13/95 के संबध में भी यही बात लागू होती है ।

Full neutralisation of DA, for Central Government Employees

3348. SHRI MISA R. GANESAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the present system of DA payment, it is sanctioned at 100 per cent and 75 per cent neutralisation of prices index;

(b) whether it is also a fact that by virtue of Government policy of DA neutralisation i.e. by way of compensation payment, many Government employees have become Income-Tax payers;

(c) whether it is also a fact that compensation paid is reduced by the tax amount and promised/assured percentage of neutralisation is not fulfilled;

(d) if so, what is the action proposed in the matter; and

(e) the reasons for not exempting that portion of DA which makes Government servant to pay tax for his entire salary and defeats the policy of neutralisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (e) Dearness Allowance is sanctioned to the Central Government employees in accordance with the neutralisation formula recommended by the 4th Central Pay Commission and as accepted by the